बिहार सरकार
बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय
(चितरंजन रोड, लखीसराय)

अल्पकालीन निविदा संख्या–01 / 2021

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्र संख्या–236, दिनांक–25.01.2021 के आलोक में लखीसराय जिलान्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यो के दौरान राजस्व ग्रामों के त्रि–सीमानों पर लगाए जाने वाले पीलर के निर्माण, परिवहन एवं अधिष्ठापन (कोडिंग सहित) की दर निर्धारण के लिए इच्छुक फर्म / आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है। जो अलग अलग लिफाफे में होगी।

इच्छुक फर्म / आपूर्तिकर्त्ता **दिनांक–14.09.2021 के अपराह्न 03.00 बजे** तक बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय में निविदा दाखिल कर सकते है। प्राप्त निविदा बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति की उपस्थिति में **दिनांक–15.09.2021 के अपराह्न 03.00 बजे** खोली जायेगी। जिसमे निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति मूल कागजातों के साथ उपस्थित रह सकेंगे।

त्रि–सीमाना पर लगाये जाने वाले पीलर का स्वरूप निम्न प्रकार से होगा–

Tri Junction Pillar

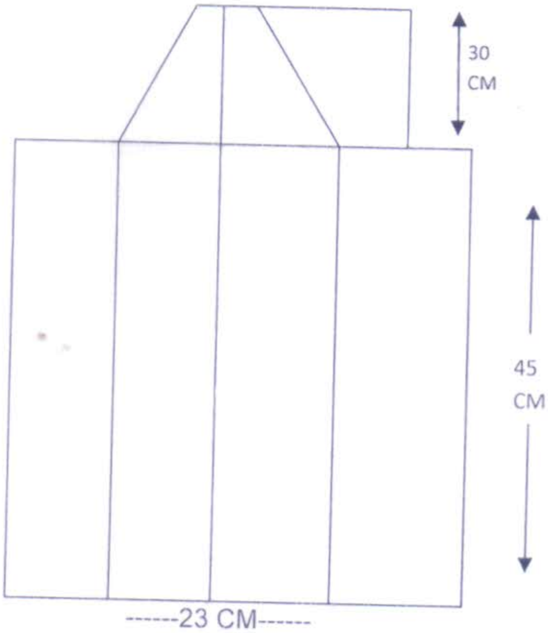

------23 CM------

Note---
1. Pillar Size 23 Cm, 23 Cm, 75 Cm,
2. 4 sides & middle iron 8mm Rods with rings.
3. Above 30 CM Shape shoule be in pyramid style.
4. Upto 45 CM under Ground
5. 30 cm above the Ground

तकनीकी निविदा की आवश्यक शर्ते–

1. अग्रधन के रूप में 20,000 / – (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), लखीसराय के पदनाम से संलग्न होना चाहिए।
2. पिछले तीन वर्षों का आयकर रिर्टन संलग्न करना होगा।
3. जी0एस0टी0 का अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
4. अनुभव प्रमाण पत्र।
5. फर्म / आपूर्तिकर्त्ता का नाम काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र मूल में निविदा पत्र के साथ एवं अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा

1. सीलबंद लिफाफे में प्रति पीलर निर्माण, पीलरों को लखीसराय जिला के विभिन्न राजस्व ग्रामों के अधिष्ठापन बिन्दु तक पहुँचाने मे परिवहन दर एवं अधिष्ठापन, कोडिंग करने सहित दर सभी कर सहित स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा।
2. अंकनीय है की लखीसराय जिला मुख्यालय से राजस्व ग्रामों के प्रत्येक पीलरों की अधिष्ठापन बिन्दु अलग–अलग है। किन्तु परिवहन की दर प्रत्येक के लिए समान होगी।

निविदा की अन्य शर्त्तें–

1. चयनित निविदादाता को पीलर निर्माण दिये गये विशिष्ट के अनुरूप करना होगा तथा त्रि–सीमाना बिन्दु पर अधिष्ठापन/जमाने का कार्य सिमेंट, कंक्रीट के माध्यम से शिविर प्रभारी के देख–रेख में करना होगा।
2. चयनित निविदादाता को कार्यादेश प्राप्ति के 01 माह के अन्दर लखीसराय जिले के सत्यापित त्रि–सिमाने पर पीलर अधिष्ठापन/कोडिंग का कार्य कराना होगा। निर्दिष्ट स्थानों पर पीलर व्यवस्थित करने के लिए Carrige of Material Per Pillar cost एवं Labour Cost आदि अलग से देय नही होगा।
3. राशि का भुगतान पीलर के अधिष्ठापन एवं कोडिंग के उपरान्त अनुमान्य करों की कटौती एवं पीलरों की गुणवता की जाँचोपरान्त किया जायेगा। इसके लिए अलग से कोई अग्रिम राशि देय नही होगा।
4. राशि के भुगतान अपरिहार्य कारण से विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नही होगा।
5. स्वीकृत निविदादाता के द्वारा ससमय निर्माण कार्य एवं अधिष्ठापन/कोडिंग नही किये जाने की स्थिति में कार्य की महत्ता के दृष्टिगत द्वितीय निविदादाता से कार्य कराया जा सकता है तथा स्वीकृत निविदादाता द्वारा दिये गये जमानत की राशि का जब्त करने एवं उन्हे काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा सकती है।
6. चयनित निविदाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि शीघ्र वापस कर दी जायेगी।
7. बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
8. निविदा पर कोई विवाद अथवा दावा लखीसराय जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।
9. अग्रधन की राशि कार्य समाप्ति के पश्चात वापस किया जायेगा।
10. विशेष जानकरी हेतु सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), लखीसराय के दूरभाष सं0–9934643981 पर सम्पर्क किया जा सकता है तथा https://lakhisarai.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

बंदोबस्त पदाधिकारी,
लखीसराय।

E:\comp2/office aadesh(802)